

**उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2**

संख्या-क0नि0-2-1439/ग्यारह-9(13)/2010-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(64)-2010
लखनऊ: दिनांक: 03 नवम्बर, 2010

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008) की धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निदेश देते हैं कि दिनांक 01 जनवरी, 2011 से रुपये पचास हजार अथवा इससे अधिक के मूल्य के निम्नलिखित माल के परिवहन के दौरान उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम 40 के अधीन विहित प्रपत्र इक्कीस में परिवहन मेमो जारी की जायेगी और साथ में रखी जायेगी :

- (1) मैन्था आयल/डी-मैन्थलाइज्ड आयल (डीएमओ)/मैन्थाल
- (2) सुपारी
- (3) सीमेंट
- (4) आयरन एण्ड स्टील

आज्ञा से,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव।

270

3-11-10